

### RTI REQUEST DETAILS

Registration No. : PGCIL/R/E/21/00507

Date of Receipt : 27/12/2021

Type of Receipt : Online Receipt

Language of Request : English

Name : RAMUDGAR SINGH

Gender : Male

Address : Parsarma parsoni, Near barail ,supaul, Supaul, Pin:852110

State : Details not provided

Country : India

Phone No. : +91-8210299924

Mobile No. : +91-8210299924

Email : kingaksoo6@gmail.com

Status(Rural/Urban) : Rural

Education Status :

Is Requester Below  
Poverty Line ? : No

Citizenship Status Indian

Amount Paid : 10 )

Mode of Payment Payment Gateway

Does it concern the life or  
Liberty of a Person ? : No(Normal)

Request Pertains to :

Information Sought :

Sir,i am ramudagar singh from supaul, sihoul powergrid cut my 79 fruitful mango tree and i want to know that how much compensation sanctioned to me and who sanctioned the compensation ,please give me the right information on document to me.

Print

Save

Close

Tree Details between Location no:- 7/1-7/1  
 (1 of 1)

1. Mango - 153 cm, 67 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 86 cm  
 120 cm, 130 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 75 cm  
 60 cm, 56 cm, 80 cm, 65 cm, 72 cm, 121 cm  
 120 cm, 66 cm, 52 cm, 53 cm, 40 cm, 127 cm  
 70 cm, 72 cm, 80 cm, 50 cm, 50 cm, 70 cm  
 80 cm, 89 cm, 68 cm, 53 cm, 61 cm, 55 cm  
 71 cm, 95 cm, 126 cm, 58 cm, 70 cm  
 70 cm, 50 cm, 98 cm, 50 cm, 50 cm, 61 cm  
 67 cm, 76 cm, 92 cm, 62 cm, 72 cm, 74 cm  
 70 cm, 70 cm, 12 cm, 30 cm, 35 cm, 28 cm  
 25 cm.

Total = 60 (Sixty Nos).

*[Signature]*  
 02/07/21

बसंत कुमार  
 कर्मीय अभियंता  
 पावर ग्रिड/सहरसा

*[Signature]*  
 02/07/21

सहारा

*[Signature]*

ROHIT KUMAR रोहित कुमार  
 Engineer/ अभियंता  
 Power Grid/ पावर ग्रिड  
 Saharsa/ सहरसा



विद्युत लाइन का नाम/सेक्शन: ... दिनांक: 15/01/2018 TRANS-PR(2) दिनांक: 15.01.2020

सेवा में: ... नाम: Ram Udgar Singh पिता/प्रति का नाम: Lt. Anant Pt. Singh गांव: Parsauri पोस्ट: Parsauri, ... जिला: Saharsa ... पिन: 857110 ... मोबाइल नंबर: 8210299924

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अनुसार विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 भाग III के अंतर्गत भारत के असाधारण अधिकारिक राजस्व की अधिसूचना स.एस.ओ. 1148 दिनांक 24.12.2003 के तहत टेलीग्राफ अधॉरिटी की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों के अंतर्गत आपको यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त लाइन आपकी संपत्ति / संपत्तियों, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, से होकर गुज़रेगी। वर्राधि ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के दौरान "राइट ऑफ वे" (ROW) में मौजूद पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए सभी सम्भावित प्रयास किये जायेंगे, फिर भी "राइट ऑफ वे" में पेड़ों की कुछ न्यूनतम अपरिहार्य क्षति हो सकती है। सभी वृक्षों की क्षति का मुआवजा राजस्व प्राधिकरण या राज्य सरकार / जिला प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारित या तय आकलन के आधार पर दिया जाएगा।

संपत्ति का ब्योरा: ... गांव का नाम: Parsauri ... लाभार्थी का नाम: Ram Udgar Singh ... ब्लाक/सर्किल/तहसील: Saharsa ... (मालिक / किरायेदार / बंटाईदार): ... जिला का नाम: Saharsa ... पिता / प्रति का नाम: Lt. Anant Pt. Singh ... लाभार्थी का आधार संख्या: ... सर्वे / प्लान / खसरा सं: 244/20/4/12/9115, 9111 ... वृक्षों का विवरण: 15 वृक्ष 15 डिसेम्बर

Table with 9 columns: क्रम सं., स्थान/सेक्शन, वृक्षों की प्रजाति, लगभग आयु (वर्ष), परिधि (जमीन के ऊपर 1 मीटर), ऊचाई (मीटर में), संख्या \*\*, कार्यकलाप का विवरण (फाउंडेशन/इरेक्शन / स्ट्रिंगिंग/ अन्य), टिप्पणी. Row 1: 70-3/1, Mango, Tree Details, 01/31, side of notice.

\*\* अधिक पेड़ के मामले में, इस तरह के विवरण के साथ तालिका संलग्न की जाये

अभिस्वीकृति

Handwritten signatures and stamps: राजेश कुमार मंडल, कनीय अभियंता, पावर ग्रिड/सहरसा; ROHIT KUMAR, रोहित कुमार, कनीय अभियंता, पावर ग्रिड/सहरसा.

(नाम के साथ हस्ताक्षर) स्वामी / लाभार्थी / प्रतिनिधि ... (जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर) नाम / मुहर ... (कार्यपालक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) स्थानीय / संबंधित राजस्व अधिकारी नाम / मुहर

\* प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर। क्षतिपूर्ति भुगतान वास्तविक क्षतिग्रस्त काटे गए वृक्षों की संख्या के अनुसार किया जाएगा।



दिनांक: 14/09/20

नाम: Ram Udgar Singh, पता: Parsani, जिला: Subart, पिन: 857130

विद्युत अंशियता, यहाँ की पत्र ताल के अनुसार, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1895 भाग - III के अंतर्गत भारत के असाधारण औद्योगिक संस्थान की अधीनता से एस जी 1138 दिनांक 29/12/2003 के तहत टेलीग्राफ अपॉरिटी की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों के अंतर्गत, आपको यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त लाईन आपकी संपत्ति / संपत्तियों, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, से टोकर गुजरेगी। यद्यपि ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के दौरान "राइट ऑफ वे" (ROW) में मौजूद पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए सभी सम्भवित प्रयास किये जाएंगे, फिर भी "राइट ऑफ वे" में पेड़ों की कुछ न्यूनतम अपरिहार्य क्षति हो सकती है। सभी वृक्षों की क्षति का मुआवजा राजस्व प्राधिकरण या राज्य सरकार / जिला प्रशासन के सूक्ष्म अधिकारी द्वारा घोषित या तब तक तब तक के अन्तर्गत पर दिया जाएगा।

संपत्ति का ब्योरा:  
 लाभार्थी का नाम: Ram Udgar Singh  
 (मालिक / किसान/दादा/बेटा)  
 पिता / पति का नाम: Lt. Anant Pd. Singh  
 सर्वे / प्लॉट / खसरा सं: 432/3822

गांव का नाम: Parsani  
 ब्लॉक / सर्किल/ तहसील: Subart  
 जिला का नाम: Subart  
 लाभार्थी का आधार संख्या: \_\_\_\_\_

वृक्षों का विवरण \*

क्रम सं.	स्थान/सेक्शन	वृक्षों की प्रजाति	लगभग आयु (वर्ष)	परिधि (जमीन के ऊपर 1 मीटर)	ऊचाई (मीटर में)	संख्या **	कार्यकलाप का विवरण फाउंडेशन/इरेक्शन / स्ट्रिंगिंग/ अन्य	टिप्पणी
	6/1-7/0 Loop SW	Mango	1.00	8cm, 125cm, 113cm, 110cm, 103cm, 1.00cm, 55cm, 50cm, 115cm, 125cm, 135cm, 119cm, 58cm, 118cm, 98cm, 45cm, 44cm, 72cm				

\*\* अधिक पेड़ के मामले में, इस तरह के विवरण के साथ तालिका संलग्न की जाये  
 Total = 19 (Nineteen) only.  
 वास्ते- पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अभिस्वीकृति  
 राम उदगार सिंह

(नाम के साथ हस्ताक्षर) स्वामी / लाभार्थी / प्रतिनिधि  
 (जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर) नाम / मुहर  
 (कार्यपालक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) (स्थानीय / संबंधित राजस्व अधिकारी) नाम / मुहर

प्रतिलिपि: स्थानीय / संबंधित राजस्व अधिकारी

\* प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर। क्षतिपूर्ति भुगतान वास्तविक क्षतिग्रस्त काटे गए वृक्षों की संख्या के अनुसार किया जाएगा।